बिहार सरकार,
सेकेन्डरी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग।

अधिसूचना

जी०एस०आर०- 393 : बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम संख्या-31, 1982) की धारा-22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अराजकीय मध्यमा स्तर तक के संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति हेतु शर्तें एवं प्रक्रिया के विनियमन हेतु बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं,- यथा नियमावली।

1- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार-

(1) यह नियमावली बिहार अराजकीय संस्कृत विद्यालय (प्रस्थीकृति एवं शर्तें) नियमावली, 1993 कही जा सकेगी।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2- परिभाषाएँ-

जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विपरीत न हो इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981।

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड,

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष,

(घ) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के अधीन बनायी गयी नियमावली,

(ङ) "मान्यता प्राप्त" से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय,

(च) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है मध्यमा स्तर तक के अराजकीय संस्कृत विद्यालय के प्रबंध हेतु गठित समिति,

(छ) "विद्यालय" से अभिप्रेत है अराजकीय संस्कृत विद्यालय,

(ज) "शिक्षक" से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक,

(झ) "आधुनिक विषय" से अभिप्रेत है (I) मानविकी विषय समूह (II) विज्ञान विषय समूह (III) गणित (IV) व्यवसायिक विषय समूह (V) ललित कला (VI) गृह विज्ञान।

(ञ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ट) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृत विद्यालयों का राज्य सरकार में

में प्रशासकी विभाग ।

3- संस्कृत शिक्षण संस्थाओं का वर्गीकरण -

मध्यमा स्तर तक का संस्कृत शिक्षण संस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा:-

§1§ प्राथमिक संस्कृत विद्यालय- वर्ग एक से पाँच तक

§2§ मध्य संस्कृत विद्यालय- वर्ग छः से आठ तक

§3§ माध्यमिक संस्कृत विद्यालय वर्ग आठ से दस तक

4- स्थापना एवं प्रस्वीकृति की शर्तें-

§1§ स्थापना-

ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्वीकृति प्राप्त किसी विद्यालय के संचालित रहने पर निम्न स्थितियों में प्रस्तावित विद्यालय को प्रस्वीकृति नहीं दी जायेगी:-

§क§ प्राथमिक विद्यालय- यदि प्रस्वीकृति प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के तीन किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय हो,

§ख§ मध्य विद्यालय- यदि प्रस्वीकृति प्राप्त मध्य विद्यालय के पाँच किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित मध्य विद्यालय हो,

§ग§ माध्यमिक विद्यालय- यदि प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के आठ किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित माध्यमिक हो, परन्तु दूरी का यह प्रतिबंध नगरीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगा ।

§2§ भूमि-

§1§ विद्यालय के लिए राज्यपाल के नाम से निम्नांकित न्यूनतम भूमि निबंधित हो:-

§क§ प्राथमिक विद्यालय के लिये ग्रामीण क्षेत्र में 15 डिसमिल और नगरीय क्षेत्र में 6 डिसमिल ।

§ख§ मध्य विद्यालय के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 30 डिसमिल और नगरीय क्षेत्र में 15 डिसमिल ,

§ग§ माध्यमिक विद्यालय के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ तथा नगरीय क्षेत्र में 45 डिसमिल ,

§11§ विद्यालय की भूमि विद्यालय के विवादरहित दखल-कब्जा में हो तथा तत्संबंधी अभिभार प्रमाण पत्र उपलब्ध हो ।

§3§ भवन-

§1§ विद्यालय में वर्ग संचालन हेतु वर्ग कक्ष का आकार एवं

उसकी न्यूनतम संख्या निम्नवत् हो:-

§क§ प्राथमिक विद्यालय- 16फीट× 12 फीट तीन वर्ग कक्ष

§ख§ मध्य विद्यालय- 16 फीट ×12 फीट चार वर्ग कक्ष

§ग§ माध्यमिक विद्यालय- 20 फीट × 16 फीट छः वर्ग कक्ष

§II§ माध्यमिक विद्यालय में 14 फीट × 12 फीट आकार का एक कार्यालय कक्ष तथा एक पुस्तकालय हो ।

§III§ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए 20 फीट × 16 फीट आकार का एक सामान्य कक्ष हो ।

§IV§ माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था हो ।

§V§ विद्यालय में जलापूर्ति की व्यवस्था हो ।

§VI§ विद्यालय भवन की दीवारें ईंट की बनी हो एवं छत पक्की/खप्परपोश हो ।

§4§ शिक्षक/शिक्षकेत्तर स्टाफ- ।

§क§ विभिन्न कोटि के संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर स्टाफ निम्नवत् हो:-

क्रम सं0	संस्था का स्तर	शिक्षक संख्या	न्यूनतम अर्हता	शिक्षकेत्तर स्टाफ
1	2	3	4	5
§I§	प्राथमिक विद्यालय	दो	§1§ संस्कृत उपशास्त्री §आयुर्वेद विषय को छोड़कर§ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण । §2§ मैट्रिक अथवा आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा § द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण§	शून्य
§II§	मध्य विद्यालय	तीन	§1§ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शास्त्री §आयुर्वेद विषय को छोड़कर§ अथवा संस्कृत स्नातक-प्रधानाध्यापक §2§ द्वितीय श्रेणी में इन्टरमिडिएट अथवा उपशास्त्री-एक §3§ द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा-एक	आदेशपाल-एक मध्यम उत्तीर्ण

1	2	3	4	5
	§1.1§ माध्यमिक विद्यालय मात्र		§1§ प्रधानाध्यापक सहित द्वितीय श्रेणी में आचार्य§आयुर्वेदी विषय को छोड़कर§- तीन.	§1§ लिपिक-एक मैट्रिक/मध्यमा उत्तीर्ण§ §1.1§ आदेशपाल सप्तम वर्ग उत्तीर्ण- एक
			टिप्पणी:- उक्त तीन में एक साहित्य, एक व्याकरण तथा एक वेद में आचार्य हो। §2§ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण- चार	
			टिप्पणी- उक्त चार में दो विज्ञान §एक गणितत्पा एक जीव विज्ञान सहित§एक मानविकी तथा एक भाषा में स्नातक हो ।	

§4§ शिक्षक तथा शिक्षेतर कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्य में प्रवृत्त आरक्षण विधि का इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से अनुपालन किया जाय ।

§5§ उपस्कर आदि-

§1§ मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों के अनुपात में बेंच-सह डेस्क प्रत्येक वर्ग कक्ष में उपलब्ध हो ।

§1.1§ प्रत्येक वर्ग कक्ष में श्यामपट्ट एवं शिक्षक के लिए कुर्सी और टेबुल की व्यवस्था हो ।

§6§ पुस्तकालय-

प्राथमिक/मध्य विद्यालय के पुस्तकालय में, क्रमशः न्यूनतम 250 और 500 बालोपयोगी तथा पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें हो । माध्यमिक विद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों की न्यूनतम संख्या 1000 हो ।

§7§ छात्र संख्या-

§1§ प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम कुल छात्र संख्या पचास, मध्य विद्यालय के लिए साठ एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए नब्बे होगी ।

§1.1§ वर्गवार कुल नामांकित छात्रों की वर्ग में प्रतिमाह न्यूनतम सत्तर प्रतिशत उपस्थिति हो ।

§8§ सुरक्षा कोष-

आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए एक हजार

एक हजार रुपया मध्य विद्यालय के लिए दो हजार रुपये एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए पाँच हजार रुपया स्थानीय बैंक/डाक घर में वरीयतम शिक्षक/प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव के संयुक्त पदनाम से संचालित खाता में जमा हो ।

(9) पाठ्यक्रम-

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के अधीन विद्यालय में अध्यापन कार्य किया जाना अनिवार्य होगा ।

(5- प्रस्वीकृति की प्रक्रिया एवं प्रस्वीकृति ।

(1) नियम 4 में विद्यालय की स्थापना एवं प्रस्वीकृति की अंकित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्वीकृति का इच्छुक विद्यालय बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को इस नियमावली के उपाबद्ध प्रपत्र में एक हजार रुपये निरीक्षण शुल्क के साथ आवेदन देगा ।

(2) उप नियम(1) के अधीन प्राप्त आवेदन के क्रम में जिलाधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में विद्यालय अवस्थित हैं, द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मंतव्य सहित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को भेजा जायेगा। इस निमित्त बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पाँच सौ रुपये मात्र जिलाधिकारी को निरीक्षणादि व्यय के निमित्त भेज देगा ।

(3) अध्यक्ष विद्यालय की प्रस्वीकृति के अभिलेख सहित राज्य सरकार को प्रस्वीकृति संबंधी अनुशंसा भेजेगा ।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति की स्वीकृति प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा विद्यालय को प्रस्वीकृति दी जायेगी ।

(5) विद्यालय की प्रस्वीकृति वित्त रहित होगी तथा ऐसी प्रस्वीकृति के फलस्वरूप राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व प्रतिस्थापित नहीं होगा ।

6- प्रस्वीकृति का प्रत्याहरण ।

किसी भी प्रस्वीकृत विद्यालय की प्रस्वीकृति एक या अधिक निम्नांकित कारणों से विद्यालय को समुचित कारण दिखाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सरकार की पूर्वानुमति से अध्यक्ष द्वारा प्रत्याहृत की जा सकेगी:-

(1) यदि विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी की नियुक्तियों में राज्य में प्रवृत्त आरक्षण नियम का इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद उल्लंघन हुआ हो,

(2) यदि कुल छात्रों की निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम छात्र संख्या हो अथवा न्यूनतम सीमा से अत्यधिक छात्र संख्या हो जो विद्या-

विद्यालय भवन के स्वरूप तथा शिक्षण कर्मियों की संख्या के सर्व
प्रामाणिक हो,

(iii) यदि प्रबंध समिति बोर्ड के निदेशों तथा आदेशों की अवह
हो,

(iv) यदि कोई अन्य ऐसा कारण दीख पड़े या प्रमाणित हो कि
विद्यालय में कुव्यवस्था व्याप्त है जिसका शिक्षण कार्य पर
कुप्रभाव पड़ रहा हो ।

7- प्रकीर्ण । :

राज्य सरकार इस नियमावली को विखंडित अथवा संशोधित कर इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी तथा उन्हें लागू करने में उत्प त्रुटियों एवं कठिनाईयों को दूर करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

8- निरसन और व्यावृत्ति

इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व इस नियमावली में सम्मिलि पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने तिथि से निरसित माने जायेंगे:-

किन्तु इस निरसन के होते हुए भी उन आदेशों द्वारा या उनके प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाइ नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया गई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आ

ह0/- (श्री नन्दन सहाय)
सरकार के अपर सचिव,

ज्ञापांक- 793
पटना, दिनांक- 18 जून, 94 ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिह राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। साथ ही अनुरोध है कि 1000 (एक हजार प्रति) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को शीघ्र भेजा जाय ।

18.6.94
(श्री नन्दन सहाय)
सरकार के अपर सचिव,

ज्ञापांक- 793
पटना, दिनांक- 18 जून, 94 ।

प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/ निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार को सू प्रेषित ।

18.6.94
(श्री नन्दन सहाय)
सरकार के अपर सचिव,